[18/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 3422]

परिशिष्ट- 1

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3422 का उत्तर

विभाग का नामः– किसान कल्याण तथा कृषि विकास
विषयः– उपयोजना में प्राप्त राशि के संबंध में।
(अतांराकित प्रश्न क्र. 3422 श्री संजय उइके)

क	प्रश्न	उत्तर
क.	क्या अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सब स्कीम) के तहत विभाग को राशि प्राप्त होती है?	हॉ, मॉग संख्या–54–कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–01–फसल कृषि कार्य–120–अन्य संस्थाओं को सहायता–0102– 5664 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना–V–अनुसुचित जनजाति उपयोजना 42–सहायक अनुदान –002– संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, इत्यादि) मद में राशि प्राप्त होती है।
ख.	यदि हॉ तो वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रश्न दिनांक तक राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना, म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा पॉच एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति योजना में कितनी–कितनी राशि विभाग को बजट में प्राप्त हुई ?	वित्तीय वर्ष 2019–20 से आज दिनांक तक राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना हेतु 2300.00 लाख राशि प्राप्त हुई है। जिसमें वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 हेतु क्रमशः राशि रू. 1150.00 लाख एवं रूपये 1150.00 लाख प्राप्त हुई है। तथा म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा पांच एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेसरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति योजना में कोई भी राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त नही हुई है।
ग	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना हेतु प्राप्त राशि का किन–किन कार्यो में कितना–कितना व्यय किया गया? विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर पाठयक्रम में अनुसूचित जनजाति की कितनी–कितनी सीटें आरक्षित है? उसके विरूद्ध कितने–कितने छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत है?	राजमाता विजयाराजें सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना हेतु वर्ष 2019–20 से आज दिनांक तक प्राप्त कुल राशि रूपये 2300.00 लाख का व्यय निम्नानुसार वेतन भत्ते, इत्यादि में किया गया है। **(राशि लाखों में)**

वर्ष	वेतन भत्ते	आवर्ती/अनावर्ती व्यय	कुल
2019–20	735.54	414.46	1150.00
2020–21	740.00	410.00	1150.00
कुल	1475.54	824.46	2300.00

		विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर, पाठ्यक्रम में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु मध्यप्रदेश के आदेशानुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 21 प्रतिशत सीटें आरक्षित है जिनमें स्नातक में 76 सीटें एवं स्नातकोत्तर में 75 सीटें है। इनके विरूद्ध इस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019–20 में स्नातक में 72 एवं स्नातकोत्तर में 44 छात्र/छात्राऐं प्रवेशित हुए थें। इसके साथ ही स्नातक शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु प्रवेश प्रक्रिया जारी है। जबकि स्नातकोत्तर में शैक्षणिक सत्र 2020–21 में अनुसूचित जनजाति के 36 छात्र/छात्राऐं प्रवेशित हुए।
घ	पॉच एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति में बजट से प्राप्त राशि को म.प्र. विद्युत मण्डल को कब–कब, कितनी–कितनी राशि एवं अनूसूचित जनजाति के कितने–कितने हितग्राहियों को लाभांवित करने हेतु राशि दी गई?	विश्वविद्यालय से संबंधित नही है।

पृष्ठ कुल संख्या (2)

कुलसचिव

सहायक संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

मध्य प्रदेश शासन,
कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

परिशिष्ट - 02

कार्यालय अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) वृत बालाघाट
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, बालाघाट

दूरभाष क्रमांक:- 07632-240620 (O) Email ID-sebalaghat@gmail.com

अ.अ. /संसं/बाला/राजस्व/ 3135 /बालाघाट दिनांक:- 5 /03/2021

प्रति

कार्यालय उप संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय:- उपयोजना में प्राप्त राशि के संबंध में।

सन्दर्भ:-
1. अतारांकित प्रश्न क्रमांक : **3422** श्री संजय उइके
2. कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जिला बालाघाट (म.प्र.) का पत्र क्रमांक 6893, दिनांक 05.03.2021

अतारांकित प्रश्न क्रमांक: **3422** के संबंध में चाही गयी जानकारी निम्नानुसार है : -

प्रश्न (घ) जिला बालाघाट में पाँच एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति में बजट से प्राप्त राशि को म0प्र0 विद्युत मंडल को कब-कब, कितनी-कितनी राशि एवं अनुसूचित जनजाति के कितने हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु राशि दी गई?

उत्तर जिला बालाघाट में वर्ष 2019-20 में पाँच एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति में बजट से म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं. लिमि. बालाघाट को कोई राशि प्राप्त नही हुई है।

Countersig.
उपसंचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

नोडल अधिकारी (का.)
अधीक्षण अभियंता (संसं) वृत
म.प्र.पू. क्षे.वि. वि. कं.लि., बालाघाट

Shazia Mirza
सहायक संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

(2)
कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल